झारखण्ड विधान सभा

सत्यमेव जयते

बिहार औद्योगिक (राष्ट्रीय एवं उत्सव अवकाश और आकस्मिक छुट्टी) (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2015

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

बिहार औद्योगिक (राष्ट्रीय एवं उत्सव अवकाश और आकस्मिक छुट्टी) (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2015

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय–सूची

धाराएँ

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।
2. अधिनियम की धारा–9 का संशोधन।
3. अधिनियम की धारा–10 का संशोधन।
4. अधिनियम की धारा–12 की उपधारा (1) का संशोधन।

बिहार औद्योगिक स्थापना (राष्ट्रीय एवं उत्सव अवकाश और आकस्मिक छुट्टी)

झारखण्ड संशोधन विधेयक, 2015

[सभा द्वारा यथापारित]

झारखण्ड राज्य के औद्योगिक स्थापनाओं में नियोजित व्यक्तियों को राष्ट्रीय एवं उत्सव अवकाश और आकस्मिक छुट्टी की अर्हता सीमा बढ़ाने के लिए विधयेक ।

भारत के गणतंत्र के 66वें वर्ष में झारखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित हों:–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ –

   (i) यह अधिनियम बिहार औद्योगिक स्थापना (राष्ट्रीय एवं उत्सव अवकाश और आकस्मिक छुट्टी) (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जायेगा।

   (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य होगा।

   (iii) यह राजकीय राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. अधिनियम की धारा–9 का संशोधन :–

अधिनियम की धारा–9 में उल्लिखित 'पचास रूपये' शब्द को 'पाँच हजार रूपये' तथा 'दो सौ पचास रूपये' को 'पचीस हजार रूपये' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

3. अधिनियम की धारा–10 का संशोधन :–

अधिनियम की धारा–10 में उल्लिखित 'पचास रूपये' शब्द को 'पाँच हजार रूपये' शब्दों से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

4. अधिनियम की धारा–12 की उपधारा (1) का संशोधन :–

धारा–12 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में **''पाँच सौ रूपये मासिक से अधिक मजदूरी''** को **''मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 की धारा–1 की उपधारा (6) में विनिर्दिष्ट मजदूरी से अनधिक मजदूरी''** शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाये

———

यह विधेयक बिहार औद्योगिक (राष्ट्रीय एवं उत्सव अवकाश और आकस्मिक छुट्टी) (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2015 दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(दिनेश उराँव)
अध्यक्ष ।